

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आर०एम० वाद सं०-69/2021-22

14.07.22

अभिलेख उपस्थापित :- अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक-44(ii) दिनांक-27/01/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। अभिलेख के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन निम्नवत है।

1. हल्का कर्मचारी के मंत्रय अनुसार:- आवेदित भूमि मौजा लुंगटू के खाता सं०-60, प्लॉट सं०-98, 99, 443, 444 एवं 513 रकबा-01 डी०, 05¼ डी०, 22½ डी०, 28½ डी०, 45¼ डी० कुल रकबा-1.2½ ए० का आर०एम० खतियान दर्ज नहीं है। पंजी-II के अनुसार क्रेता-विक्रेता दोनो के नाम पृष्ठ सं० 91/II में समिलात रकबा-2.03 एकड़ की जमाबंदी दर्ज है। जिसमें दोनो का आधा आधा हिस्सा है। पंजी-II रैयत जाति के कुर्मी है। ऑनलाईन पंजी-II के परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में दा०खा० मु० नं०-122/1980-81 जबकि चालू पंजी-II में वर्ष 122/1990-91 दर्ज है। शुद्धि पत्र संलग्न नहीं है। अतः उपरोक्त त्रुटि का निराकरण हेतु तत संबंधी पर्याप्त दस्तावेज की उपलब्धता के पश्चात अंचल अमीन द्वारा भूमि का सत्यापन के उपरान्त उपरोक्त भूमि का धारा 46(1)b छो०का०अधि० के तहत आर एम० वाद सं०-69/2021-22 का निष्पादन किया जा सकता है।

2. अंचल निरीक्षक के मंत्रय अनुसार:- मौजा-लुंगटू के खाता नं०-60 मूल पंजी-II में दा०खा० केश नं०-122/1990-91 है। जबकि ऑनलाईन पंजी में दा०खा० केश नं०-122/1980-81 है। अंचल अमीन के स्थल जाँच के आधार पर अपने हिस्से से अधिक भूमि हो रही है।

3. अंचल अधिकारी के मंत्रय अनुसार:-रा० उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार बिक्री अनुमति अस्वीकृत योग्य है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में अनुमति वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
लुंगटू	तमाड़/139	60	98	01 डी०
			99	05¼ डी०
			443	22½ डी०
			444	28½ डी०
			513	45¼ डी०

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।